

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2017/भाद्र 27, 1939

No. 359]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017/ BHADRA 27, 1939

भारतीय रिजर्व बैंक

(गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 24 अगस्त, 2017

सं. डीएनबीआर. 045/ सीजीएम (सीडीएस) - 2017.—भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना अनिवार्य है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आई के खंड (एफ) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात 'पीअर टू पीअर उधार प्लेटफॉर्म कारोबार' से जुड़ी गैर बैंकिंग संस्था को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में विनिर्दिष्ट करता है।

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पीअर टू पीअर उधार प्लेटफॉर्म के कारोबार" का तात्पर्य, एक अनुबंध के तहत, उस प्लेटफॉर्म पर सहभागियों को, आपसी समझौते के अंतर्गत, ऑनलाइन माध्यम से या अन्यथा, ऋण प्रदान करने अथवा उस प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधा सेवाओं का उपयोग करने का कारोबार होगा।

सी. डी. श्रीनिवसन, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./225/17]

5761 GI/2017 (1)

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Non-Banking Regulation)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th August, 2017

No. DNBR. 045/CGM (CDS)-2017.—The Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary to do so, in exercise of the powers conferred on it by sub-clause (iii) of clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) with the prior approval of the Central Government, hereby, specifies a non-banking institution that carries on 'the business of a peer to peer lending platform' to be a Non-Banking Financial Company.

For the purpose of this notification, the term "the business of a peer to peer lending platform" shall mean the business of providing under a contract, the service of loan facilitation, via online medium or otherwise, to the participants who have entered into an arrangement with that platform to lend on it or to avail of loan facilitation services provided by it.

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./225/17]